16 10/19

पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को बार-बार आवाज लगाई गई। परन्तु न तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के वकील एवं न ही प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण स्वयं न्यायालय के समक्ष उपसंजात हुए। अतः न्यायालय सि.प्र.सं., 1908 के आदेश 9 नियम 3 के तहत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का आदेश देता हूँ

16.10.19

Scanned by CamScanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.12 12:09:30 IST
Reason: SelfAttested